न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित प्रथम), अम्बेडकर नगर।

सत्र परीक्षण वाद संख्या 1049/2026

सरकार–– बनाम–– रोशन लाल

मु0अ0सं0 68/2019,

धाराः 363,366 भा0दं0सं0,

थाना– हंसवर, जनपदः– अम्बेडकर नगर।

आदेश

02.06.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर अभियुक्त रोशन लाल जेल से उपस्थित। अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचन के सम्बन्ध में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान ए0डी0जी0सी0 'फौ0' को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त को अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियां प्रदान की गयी।

विद्वान ए0डी0जी0सी0 'फौ0' द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्य का विवरण दिया, जिनके आधार पर उन्हें आरोपों को साबित करना है।

अभियुक्त की तरफ से कथन किया गया कि प्रस्तुत मामले में उसे रंजिशन गलत तरीके से व परेशान करने की गरज से झूंठा फंसाया गया है, और वह निर्दोष हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध धारा 363,366 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचन हेतु प्रथम दृष्टया प्रचुर साक्ष्य उपलब्ध है। तद्नुसार, अभियुक्त के विरुद्ध उपर्युक्त वर्णित धारा के अन्तर्गत आरोप विरचन की जाये।

दिनांकः 02.06.2026

(परविन्द कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित प्रथम),
अम्बेडकर नगर।
I.D.No.UP01837

अभियुक्त रोशन लाल के विरूद्ध धारा 363,366 भा0दं0सं0, के अन्तर्गत आरोप विरचना की गयी। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 18.06.2026 को पेश हो। साक्षीगण तलब हो।

दिनांकः 02.06.2026

(परविन्द कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित प्रथम),
अम्बेडकर नगर।
I.D.No.UP01837

Digitally signed by PARVIND KUMAR
Date: 2026.06.02 13:43:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित प्रथम), अम्बेडकर नगर।</u>

सत्र परीक्षण वाद संख्या 1049/2026

सरकार–– बनाम–– रोशन लाल

मु0अ0सं0 68/2019,

धाराः 363,366 भा0दं0सं0,

थाना– हंसवर, जनपदः– अम्बेडकर नगर।

<u>आरोप</u>

मैं परविन्द कुमार, अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित प्रथम), अम्बेडकर नगर एतदद्वारा आप अभियुक्त रोशन लाल को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँः–

1. यह कि घटना दिनांक 26.04.2019, समय अदम तहरीर बहद स्थान रघुराजी देवी इण्टर कॉलेज, थाना हंसवर, जनपद–अम्बेडकर नगर में आप ने वादी मुकदमा जय कुमार की पुत्री सुधा कुमारी उम्र लगभग 15 वर्ष को उसकी विधिपूर्ण संरक्षता से बहला फुसला कर व्यपहरण कर लिया। इस प्रकार आपने ऐसा कार्य किया है, जो भा0द0सं0 की धारा 363 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप ने वादी मुकदमा जय कुमार की पुत्री सुधा कुमारी उम्र लगभग 15 वर्ष को उसकी विधिपूर्ण संरक्षता से बहला फुसला कर व्यपहरण अयुक्त संभोग करने के आशय से किया। इस प्रकार आपने ऐसा कार्य किया है, जो भा0द0सं0 की धारा 366 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतएवं आप अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि आपका विचारण उपर्युक्त अपराध के तहत इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

<u>दिनांकः 02.06.2026</u>

(परविन्द कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित प्रथम),
अम्बेडकर नगर।
I.D.No.UP01837

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

<u>दिनांकः 02.06.2026</u>

(परविन्द कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित प्रथम),
अम्बेडकर नगर।
I.D.No.UP01837